28.06.2023 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री तरूण शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा(विक्रेता नोमिनी) निवासी वार्ड नं. 3, गुलाब नगर, खाटु रोड, रींगस, जिला सीकर मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड ग्राम परसरामपुरा पोस्ट सरगौठ, रिको ओवरहेड वाटर टेंक के पास, श्री खाटु श्यामजी रिको इण्डस्टीयल एरीया, रींगस जिला सीकर व मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड ग्राम परसरामपुरा पोस्ट सरगौठ, रिको ओवरहेड वाटर टेंक के पास, श्री खाटु श्यामजी रिको इण्डस्टीयल एरीया, रींगस जिला सीकर उपस्थित हुये। वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 12.01.2023 को दौराने गस्त समय 12:20 पी.एम. पर, निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड ग्राम परसरामपुरा पोस्ट सरगौठ, रिको ओवरहेड वाटर टेंक के पास, श्री खाटु श्यामजी रिको इण्डस्टीयल एरीया, रींगस जिला सीकर मौके पर विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ Lite Dahi (Ksheer Brand) पोली पैक्ड 170 ग्राम (pasteurized skimmed milk से निर्मित) बेच रहे थे। अप्रार्थी को मैने अपना परिचय दिया व उसका नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र 2023 की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र कि प्रति पेश की।

अप्रार्थी से फर्म पर 200 पोली पैक्ड थैली प्रत्येक 170 ग्राम Lite Dahi (Ksheer Brand) पोली पैक्ड 170 ग्राम (pasteurized skimmed milk से निर्मित) आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुये थे। उपलब्ध स्टोक में से 5 पोली पैक्ड थैली प्रत्येक Lite Dahi (Ksheer Brand) पोली पैक्ड 170 ग्राम (pasteurized skimmed milk से निर्मित) वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर उनके बताये अनुसार मूल्य 60रु मेरे द्वारा विक्रेता को भुगतान कर रशीद प्राप्त कि व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **मिथ्याछाप** पाया गया।

प्रार्थी, वकील अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–3300 खाद्य पदार्थ Lite Dahi (Ksheer Brand) पोली पैक्ड 170 ग्राम (pasteurized skimmed milk से निर्मित) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **मिथ्याछाप** पाया गया। मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी को 75,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर
नीमकाथाना, सीकर

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:06:07 IST
Reason: SelfAttested

46